न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 32 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मेहराराम पुत्र दामाराम
2. चतुराम पुत्र दामाराम
3. भंमराराम पुत्र दामाराम जाति मेघवाल निवासी आलमसर तहसील चौहटन

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मूमलदेवी पत्नी आईदानराम जाति मेघवाल निवासी पोषाल तहसील चौहटन

2.रमजाराम पुत्र मियलाराम जाति मेघवाल निवासी आलमसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।

3.श्रीमान शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा चौहटन

4.श्रीमान तहसीलदार चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 439 / 2012 बअनवान मूमल वगैरा बनाम मेहराराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2013 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री शाकर खां समेजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रमेश सोलंकी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 15.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / रेस्पोडेंट का खातेदारी जोत मौजा आलमसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 334 रकबा 43.00 बीघा स्थित है। उक्त आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है व काश्त के समय रेस्पोडेंट की जोत के चारों तरफ अन्य काश्तकार अपनी अपनी जोत काश्त कर लेते है जिससे रेस्पोडेंट / प्रार्थी अपनी जोत में जाने से बाधित होते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वारा दिनांक 05.03.2013 को एकतरफा मौका रिपोर्ट मगवाई गई मौका रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर पुनः तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश पारित किया गया, जो दिनांक 17.04.2013 को प्राप्त हुई। अपीलाधीन मौका रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार कर न्यायालय में पेश की गई। अपीलांटगण को उक्त मौका रिपोर्ट के बारे में कोई सूचना व जानकारी नहीं दी गई है तथा न ही मौके पर अपकर मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति की जांच बिना मौका रिपोर्ट प्राकृतिक न्याय सिद्धांत व साम्या के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अधिवक्ता ने प्रार्थी समस्थाराम की ओर से दिनांक 30.04.2013 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के तहत पेश किया गया था, जिस पर उसी दिन दोनों पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद उक्त प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करने व अपीलांट क जबाव प्रार्थना–पत्र हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.05.2013 को मुर्करर की गई परन्तु अपीलांट व उनके अधिवक्ता के न्यायालय से आगामी पेशी लेकर चले जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में गलत इन्द्राज करते हुए आगामी पेशी तारीख दिनांक 15.05.2013 को मूल प्रकरण के निर्णय हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए अपनी मनमर्जी से गलत आदेशिका का संधारण कर एकतरफा आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2013 को एकतरफा मौका रिपोर्ट मगवाई गई मौका रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर पुनः तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश पारित किया गया, जो दिनांक 17.04.2013 को प्राप्त हुई। अपीलाधीन मौका रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार कर न्यायालय में पेश की गई। अपीलांटगण को उक्त मौका रिपोर्ट के बारे में कोई सूचना व जानकारी नहीं दी गई है तथा न ही मौके पर अपकर मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति की जांच बिना मौका रिपोर्ट प्राकृतिक न्याय सिद्धांत व साम्या के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अधिवक्ता ने प्रार्थी समस्थाराम की ओर से दिनांक 30.04.2013 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के तहत पेश किया गया था, जिस पर उसी दिन दोनों

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद उक्त प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करने व अपीलांट क जबाव प्रार्थना–पत्र हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.05.2013 को मुर्करर की गई परन्तु अपीलांट व उनके अधिवक्ता के न्यायालय से आगामी पेशी लेकर चले जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में गलत इन्द्राज करते हुए आगामी पेशी तारीख दिनांक 15.05.2013 को मूल प्रकरण के निर्णय हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए अपनी मनमर्जी से गलत आदेशिका का संधारण कर एकतरफा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो–दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई लेकिन रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी जोत मौजा आलमसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 334 रकबा 43.00 बीघा में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के संबंध में मौका रिपोर्ट स्पष्ट है। इस मौका रिपोर्ट दिनांक 16.04.2013 के अनुसार उभयपक्ष एवं मौतबिरान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण पश्चात रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 334 को कटाण मार्ग तक जोड़ने हेतु बीच में खेत खसरा संख्या 321 का क्षेत्र आता है इसमें प्रस्तावित मार्ग ABCD (बरंग लाल से प्रदर्शित) ग्राम आलमसर से बिसारणिया जाने वाले मार्ग/रास्ते से मिलता है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा आवेदन में प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग वैकल्पिक रास्ता नहीं है।" प्रदत्त रास्ते में आने वाले क्षेत्र के बीच में क्षेत्र खाली है कोई वृक्ष, आवासीय, निर्माण आदि नहीं है।" अपीलांट पक्ष द्वारा यह दलील दी गई कि अन्य वैकल्पिक रास्ता है परन्तु इसके समर्थन मे कोई अभिलेख वे प्रस्तुत नहीं कर पाये। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय से प्रदत्त **रास्ता सर्वथा आवश्यक** व **एकमात्र न्यूनतम दूरी का रास्ता है, जो विधि सम्मत प्रदत्त है। जिसमें इसमें किसी भी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है।** भूमि पर **अपीलांट पक्ष** द्वारा इस राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते को बकरियों का बाड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner